माननीय जवाहर लाल गुप्ता जे. के समक्ष

पंजाब स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

श्री बलदेव कृष्ण,-प्रतिवादी।

***1993 का*सी. आर. सं. 3377**

18नवंबर, 1993।

विल प्रक्रिया संहिता (V-ऑफ़ 1908)—आदेश 9 नियम 13—एक पक्षीय कार्यवाही को रद्द करना - यदि सम्मन की उचित तामील के बावजूद कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता है - तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा यदि एक पक्षीय कार्यवाही को यंत्रवत् रद्द कर दिया जाता है।

यह माना गया कि यह निस्संदेह सही है कि आम तौर पर अदालतों को पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने और अपने-अपने तर्कों को प्रमाणित करने का उचित अवसर देने के बाद मामलों का फैसला करना चाहिए। हालाँकि, एक मामले मेंजहां किसी मामले में कोई पक्ष विधिवत समन भेजे जाने के बावजूद उपस्थित होने की जहमत नहीं उठाता है, वहां यदि एक पक्षीय कार्यवाही के अंत में पारित आदेश को यंत्रवत् रद्द कर दिया जाता है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।यह तभी होता है जब रिकॉर्ड पर यह संतोषजनक ढंग से स्थापित हो जाता है कि नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है, तभी एकपक्षीय आदेश को रद्द किया जा सकता है।

(पैरा 8)

सिविल प्रक्रिया संहिता—(1908 का 5)—आदेश 43 आर. 1(डी)— एक पक्षीय कार्यवाही को रद्द करने के आवेदन को खारिज करने वाला आदेश अपील योग्य है - याचिकाकर्ता आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में विफल रहे - किराया नियंत्रक के आदेश को बरकरार रखा गया।

माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1(डी) के प्रावधानों के तहत, आदेश 9 नियम 13 के तहत किसी आवेदन को खारिज करने वाला आदेश अपील योग्य है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को सबसे अच्छी तरह ज्ञात कारणों से, कोई अपील दायर नहीं की गई थी। जहां तक इस पुनरीक्षण याचिका का सवाल है, किराया नियंत्रक का आदेश किसी भी अवैधता या अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है जिसके लिए किसी निष्कर्ष की आवश्यकता हो सकती है।

(पैरा 14)

मनमोहन लाल सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय महाजन, अधिवक्ता के साथ, याचिकाकर्ता के लिए|निमो, प्रतिवादी के लिए।

निर्णय

1. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और उसका प्रबंध निदेशक ने 11 अप्रैल, 1991 को (इस सिविल रिवीजन में याचिकाकर्ताओं ने) किराया नियंत्रक, चंडीगढ़ के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 13 के तहत 1 फरवरी, 1991 के एकपक्षीय निष्कासन आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। विद्वान किराया नियंत्रक द्वारा आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद, उन्होंने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कुछ तथ्यों पर गौर किया जा सकता है|

2. बैंक दुकान-सह-कार्यालय नंबर 18, सेक्टर 26, चंडीगढ़ के रूप में वर्णित परिसर पर कब्जा कर रहा है। प्रतिवादी-मकान मालिक ने याचिकाकर्ताओं को बेदखल करने के लिए पूर्वी पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 के तहत एक याचिका दायर की। 15 दिसंबर 1989 के आदेश द्वारा विद्वान किराया नियंत्रक ने निर्देशित किया

"याचिका पंजीकृत की जाए। प्रक्रिया शुल्क दाखिल करने पर प्रतिवादी को 31 जनवरी 1990 के लिए नोटिस जारी किया जाए। पंजीकृत ए.डी. कवर दाखिल करने पर सेवा पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रभावी की जाएगी।''31 जनवरी, 1990 को विद्वान किराया नियंत्रक ने देखा कि सेवा के बावजूद वर्तमान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था। उन्होंने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"प्रतिवादियों को सम्मन भेजा गया है। केस के लिए कई बार कॉल किया गया. उत्तरदाताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। दोपहर के 2-30 बज चुके हैं। इसलिए उत्तरदाताओं पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।28 फरवरी, 1990 को एक पक्षीय साक्ष्य मामले की सुनवाई के लिए। अंततः, एकपक्षीय साक्ष्य दर्ज करने के बाद, किराया नियंत्रक ने बैंक को विवादग्रस्त परिसर से बाहर निकालने का आदेश दिया।

3.दो महीने से अधिक समय बाद, 12 अप्रैल 1991 को, याचिकाकर्ता आदेश 9 नियम 13, सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया। अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि "प्रतिवादी-बैंक को मामले में कभी भी समन नहीं दिया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता श्री बलदेव कृष्ण द्वारा बैंक के साथ धोखाधड़ी करके एक पक्षीय आदेश प्राप्त किए गए हैं। बैंक को कभी भी सामान्य प्रक्रिया में या पंजीकृत डाक के माध्यम से या सेवा के किसी अन्य माध्यम से कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रकार आवेदक-बैंक अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और मामले का बचाव करने की स्थिति में नहीं था। . आवेदक-प्रतिवादियों को कोई उचित और उचित सेवा नहीं मिली है।" यह आवेदन बैंक द्वारा अपने प्रबंध निदेशक याचिकाकर्ता संख्या 2 के माध्यम से दायर किया गया था। विद्वान ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि इस आवेदन का नोटिस प्रतिवादी-मकान मालिक को दिया गया था। इस अर्जी का जवाब दाखिल किया गया. अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि "इस तथ्य के बावजूद कि समन की सेवा, जो इस माननीय न्यायालय द्वारा 4 जनवरी, 1990 को दिनांक 31 जनवरी, 1990 के लिए जारी की गई थी, पूर्व की धारा 13 के तहत याचिका की फोटोस्टेट प्रति के साथ पंजाब शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949, दिनांक 11 दिसंबर, 1989, उक्त समन के मोर्चे पर दिखाई देने वाले समर्थन के अनुसार, 8 जनवरी, 1990 को जजमेंट देनदारों पर अलग से प्रभावी हुआ, फिर भी जब 31 जनवरी को कोई उपस्थिति नहीं हुई। 1990 में दोनों में से किसी एक द्वारा इस माननीय न्यायालय में मामले को बार-बार दोपहर 2.30 बजे तक बुलाने के बाद, इस माननीय न्यायालय ने 31 जनवरी के आदेश के तहत उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई करने की कृपा की| यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने "जानबूझकर उपस्थिति दर्ज कराने से परहेज किया है।" यह भी बताया गया है कि भले ही एकपक्षीय साक्ष्य दर्ज करने के आदेश 31 जनवरी, 1990 को पारित किए गए थे, साक्ष्य वास्तव में 23 जनवरी, 1991 को दर्ज किए गए थे और मामले को बहस के लिए 28 जनवरी, 1991 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। अंतिम आदेश 1 फरवरी, 1991 को पारित किया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को परिसर खाली करने के लिए दो महीने का समय दिया था। जब 1 अप्रैल 1991 तक स्वामित्वाधीन परिसर खाली नहीं किया गया, तो डिक्री-धारक (वर्तमान प्रतिवादी) को कब्जे के वारंट जारी करने के लिए सी.पी.सी. के आदेश 21, नियम 35 के तहत एक आवेदन दायर करना पड़ा। 10 अप्रैल 1991 को वारंट जारी किये गये। बेलीफ ने 11 अप्रैल, 1991 को परिसर का दौरा किया। बेलीफ ने 11 अप्रैल, 1991 की अपनी रिपोर्ट के साथ उनके वारंट

अदालत को वापस कर दिए। वर्तमान याचिकाकर्ताओं के इस कथन को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया कि उन्हें तामील नहीं किया गया था।

(4) पार्टियों की दलीलों पर, विद्वान किराया नियंत्रक ने निम्नलिखित मुद्दे तय किए: -

1. क्या 1 फरवरी 1991 के एकपक्षीय निष्कासन आदेश को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार हैं? ओ.पी.ए

2. क्या आवेदन पोषणीय नहीं है? ओ.पी.ए

3. राहत, यदि कोई हो

विद्वान किराया नियंत्रक ने पाया कि ''सम्मन विधिवत थे बैंक के अधिकारी द्वारा काफी पहले ही प्राप्त कर लिया गया। और यह आवेदक बैंक ने जान-बूझकर और इरादे से उपस्थित नहीं हुआ व्यावहारिक रूप से और आवेदन में लगाए गए आरोप कि बैंक को कभी समन नहीं दिया गया, पूरी तरह से गलत है और बैंक के रिकॉर्ड के खिलाफ है। नतीजतन, इसने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मुद्दा नंबर 1 पाया। मुद्दा संख्या 2 के तहत यह माना गया कि आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था और केवल कार्यवाही में देरी करने के लिए दायर किया गया था। तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री एम.एल. सरीन ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं को विधिवत सेवा नहीं दी गई है, विद्वान किराया नियंत्रक ने आवेदन को खारिज करने में गलती की है।

(6) यह मामला मूल रूप से 22 अक्टूबर 1993 को सुनवाई के लिए आया था। इस याचिका में उठाए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए, मामले के रिकॉर्ड मंगवाए गए थे। इन्हें विधिवत प्राप्त किया गया। मैंने विद्वान वकील की सहायता से अभिलेखों का अवलोकन किया है। अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि दोनों याचिकाकर्ताओं को 8 जनवरी,1990 को समन जारी किया गया था। याचिकाकर्ताओं को भेजे गए समन की डुप्लिकेट प्रतियां रिकॉर्ड में हैं। प्रबंध निदेशक को भेजे गए नोटिस की प्रति Ex.R-2 है। इस पर बैंक की मोहर लगी होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नोटिस 8 जनवरी, 1990 को बैंक के किसी अधिकारी को प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार, बैंक को दिए गए नोटिस की प्रति Ex.R-3 है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नोटिस 8 जनवरी 1990 को दिया गया था। इसके अलावा, दोनों नोटिस में न केवल याचिका का विवरण दिया गया है, बल्कि एक समर्थन भी शामिल है - "प्रतिलिपि संलग्न"। इतना ही नहीं याचियों के कार्यालय का रसीद रजिस्टर भी तलब कर लिया। इस रजिस्टर से प्रासंगिक उद्धरण Ex.R-l है। इस रजिस्टर में, इन समन की रसीद क्रम संख्या 231 और 232 पर विधिवत दर्ज की गई है। इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री आर.के. नैय्यर अकेले गवाह थे। जो याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए| उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि बैंक को कभी भी कानून के अनुसार समन नहीं दिया गया था और प्रतिवादी द्वारा धोखाधड़ी करके एक पक्षीय आदेश प्राप्त किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि "प्रतिवादी बैंक को उसके प्रबंध निदेशक के माध्यम से सामान्य प्रक्रिया में या पंजीकृत डाक के माध्यम से कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ था।" हालाँकि, जिरह में उन्होंने स्वीकार कर लिया| बैंक या उसके अधिकारियों को संबोधित जो भी संचार होता है, वह डायरी-क्लर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है जो बैंक द्वारा बनाए गए डायरी रजिस्टर में प्रविष्टियाँ करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि "Ex.R-3 पर हमारे बैंक का रबर स्टैम्प लगा हुआ है"। उन्होंने आगे कहा कि "Ex.R-2 और Ex.R 3 बैंक में प्राप्त हुए थे लेकिन संबंधित अधिकारियों के सामने कभी नहीं रखे गए।" यह सभी सबूत याचिकाकर्ताओं के नेतृत्व में हैं। प्रतिवादी-मकान मालिक स्वयं आरडब्ल्यू-1 के रूप में उपस्थित हुए थे और उन्होंने लिखित बयान में अपने द्वारा ली गई स्थिति को दोहराया था। इस साक्ष्य की पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं की ओर से किए गए दावे की जांच की जानी है।

(7) रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सम्मन, जिसकी प्रतियां Ex.R-2 और हैं रिकॉर्ड पर Ex.R-3, बैंक को विधिवत तामील कराया गया। डेयरी क्लर्क इन सम्मनों को रसीद-रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया था। इन नोटिस से पता चलता है कि याचिका की प्रति उसके साथ संलग्न थी। पतिवादी-मकान मालिक ने अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कहा गया कि याचिका की फोटो कॉपी कोर्ट द्वारा जारी समन के साथ वर्तमान याचिकाकर्ताओं को विधिवत तामील करा दी गई है। इसके बावजूद, श्री नैय्यर ने दूर-दूर तक यह संकेत नहीं दिया कि याचिका की प्रति बैंक को भेजे गए समन के साथ संलग्न नहीं थी। ऐसे में याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया यह तर्क कि नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। विद्वान निचली अदालत ने इसे सही ही खारिज कर दिया।

(8) (यह निस्संदेह सही है कि आम तौर पर अदालतों को ऐसा करना चाहिए पक्षों को अपनी-अपनी दलीलें पेश करने और उन्हें प्रमाणित करने का उचित और उचित अवसर देने के बाद मामलों का निर्णय करें। हालाँकि, ऐसे मामले में जहां किसी मामले का कोई पक्ष विधिवत नोटिस तामील होने के बावजूद भी उपस्थित होने की परवाह नहीं करता है, यदि एक पक्षीय कार्यवाही के अंत में पारित आदेश को यंत्रवत् रद्द कर दिया जाता है तो यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह तभी होता है जब रिकॉर्ड पर यह संतोषजनक ढंग से स्थापित हो जाता है कि नोटिस की विधिवत तामील नहीं की गई थी, तभी एक पक्षीय आदेश को रद्द किया जा सकता है)। मौजूदा मामले में ऐसी स्थिति नहीं है|

(9) श्री सरीन को यह कहते हुए कष्ट हो रहा था कि नोटिसों की 'विधिवत तामील' नहीं की गई, क्योंकि 15 दिसंबर 1989 को किराया नियंत्रक द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, नोटिस केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते थे।

विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश ऊपर देखा जा चुका है। इसमें प्रक्रिया शुल्क के भुगतान पर नोटिस जारी करने पर विचार किया गया। इसने पंजीकृत डाक से नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। भले ही यह मान लिया जाए कि नोटिस पंजीकृत डाक से नहीं भेजा गया था, इससे याचिकाकर्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि यह रिकॉर्ड पर स्थापित है कि उन्हें सामान्य तरीके से विधिवत सेवा दी गई थी। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा नोटिस को अस्वीकार करने का आरोप लगाया गया होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। कोई कल्पना कर सकता था कि रिपोर्ट में हेरफेर किया गया होगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, बैंक के रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि सम्मन विधिवत प्राप्त हुए थे।यहां तक कि एडब्ल्यू-1 के रूप में पेश हुए बैंक के अधिकारी ने भी स्पष्ट रूप से नोटिस प्राप्त होने की बात स्वीकार की। उनके द्वारा दिया गया एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि नोटिस 'संबंधित अधिकारियों' के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसमें मकान मालिक की कोई गलती नहीं है. बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों की ओर से हुई किसी भी चूक के लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है कि बैंक के कार्यालय में नोटिस प्राप्त होने के बाद उन पर क्या कार्रवाई की गई थी। फ़ाइल यह संकेत दे सकती थी कि इसे 'संबंधित प्राधिकारियों' के समक्ष प्रस्तुत किया गया था या नहीं। रिकार्ड प्रस्तुत न कर पाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई शिकायत पूरी तरह से निराधार और गलत समझी गई है।

(10) यह भी ध्यान देने योग्य है ,आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर आवेदन में, याचिकाकर्ताओं की दलील यह नहीं थी कि नोटिस के साथ याचिका की प्रति नहीं थी या इसे संबंधित अधिकारियों के सामने नहीं रखा गया था। इसके विपरीत, विशिष्ट दलील यह थी कि बैंक को नोटिस "या तो सामान्य तरीके से या पंजीकृत डाक के माध्यम से या सेवा के किसी अन्य तरीके से नहीं दिया गया था। यह दलील स्पष्टतः झूठी थी। बैंक के रिकार्ड से यह बात झुठलायी गयी है. याचिकाकर्ता साफ-सुथरे हाथों से अदालत में नहीं आए। इस प्रकार अब जो शिकायत करने की मांग की गई है वह गलत है।

(11) श्री सरीन ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने यह मानने में गलती की है कि आवेदन परिसीमा द्वारा वर्जित था और इस संबंध में कोई मुद्दा नहीं बनाया गया था। यह विवाद भी कायम नहीं रह सकता. सबसे पहले, यह प्रतिवादी-मकान मालिक द्वारा प्रारंभिक आपत्ति के माध्यम से विशेष रूप से अनुरोध किया गया था "नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1980 की धारा 151 के तहत पठित आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रतिवादी द्वारा वर्तमान आवेदन, संशोधित (दिनांक 11 अप्रैल, 1990) न केवल पूरी तरह से गलत है, बल्कि निराशाजनक रूप से सीमा, गुण-दोष से वर्जित है। रखरखाव की कमी के कारण सीधे तौर पर बर्खास्तगी।" इस विशिष्ट दलील के मद्देनजर ही याचिका की विचारणीयता के संबंध में मुद्दा तैयार किया गया था। जाहिर है, विद्वान किराया नियंत्रक द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कुछ भी गलत नहीं है। हालाँकि, भले ही इस निष्कर्ष को नजरअंदाज कर दिया जाए, फिर भी याचिकाकर्ताओं का आवेदन मुद्दे संख्या 1 के निष्कर्ष के मद्देनजर खारिज किया जा सकता है।

(12) श्री सरीन ने फिर यह दिखाने का प्रयास किया कि का कथन प्रतिवादी कि का कथ प्रतिवादी-मकान मालिक किसी भी विश्वसनीयता के योग्य नहीं था क्योंकि उसने अपनी जिरह के दौरान विरोधाभासी बयान दिए थे। विद्वान वकील ने बताया कि शुरू में प्रतिवादी ने कहा था कि वह प्रोसेस-सर्वर के साथ आया था लेकिन बाद में उसने इससे इनकार कर दिया था। इसी तरह रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने के मामले में भी उन्होंने अपना खंडन किया था. विवाद का कोई मतलब नहीं है. एक बार जब याचिकाकर्ताओं को विधिवत नोटिस भेज दिया गया, तो मकान मालिक के बयान में मामूली विरोधाभास का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि नोटिस जनवरी, 199ए में भेजा गया था। विचाराधीन बयान 22 सितंबर, 1993 को दर्ज किया गया था। समय बीतने के कारण स्मृति की ऐसी चूक रिकॉर्ड पर स्थापित तथ्यात्मक स्थिति को नष्ट नहीं कर सकती।

(13) विद्वान वकील ने इसके कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया था कोर्ट ने सुखदेव सिंह और अन्य बनाम संतोख सिंह और बताया अन्य (1) और श्रीमती छक्कनो बनाम बचन सिंह (2)। ये ऐसे मामले थे जो तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न थे। इन मामलों में, यह मान लिया गया था कि सेवा तब प्रभावित हुई जब यह बताया गया कि प्रतिवादी ने सम्मन प्राप्त करने से 'इनकार' कर दिया है। न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश पारित करने की कार्यवाही की थी। इसे न्यायालयों ने स्वीकार नहीं किया। मौजूदा मामले में ऐसी स्थिति नहीं है. इस प्रकार इन निर्णयों की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसलिए, इन पर विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है।

(14) प्रावधानों के अंतर्गत यह भी ध्यान दिया जा सकता है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 नियम 1(डी) के तहत, एक आवेदन को अस्वीकार करने वाला आदेश (आदेश 9 नियम 13 के तहत) लागू होता है। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं को सबसे अच्छी तरह ज्ञात कारणों से, कोई अपील दायर नहीं की गई थी। जहां तक इस पुनरीक्षण याचिका का सवाल है, किराया नियंत्रक का आदेश किसी भी अवैधता या अनौचित्य से ग्रस्त नहीं है जिसके लिए किसी निष्कर्ष की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, इसे सीमान्त रूप से खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:
Prerna Arya
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy,
Chandigarh